न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(कल्पना अग्रवाल,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 26.03.2025

जरिये अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह

– प्रार्थी

बनाम

श्री लोकेश सैनी पुत्र श्री छीतरमल जाति माली फर्म मालिक श्री श्याम रेडियम एण्ड कार सर्विस सेन्टर मालपुरा रोड टोडारायसिह जिला केकडी हाल टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांक 31.07.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में दिनांक 12.12.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह ने घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग के आकस्मिक निरीक्षण जांच करने वास्ते श्री श्याम रेडियम एण्ड कार सर्विस सेन्टर मालपुरा रोड टोडारायसिंह पर पहुंचा मौके पर एक मारूती वैन चालक दूर से ही वैन को भगाकर ले गया मौके पर उक्त फर्म के परिसर की जांच करने पर 10 घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये एवं एक इलैक्ट्रिक मोटर HITONE मार्का, एक इलैक्ट्रिक मोटर MISBAH मार्का, दो लोहे के रेग्युलेटर, दो वाल्व इलेक्ट्रीक वायर से जुडे हुए पाये गये है। मौके पर वक्त जांच फर्म मालिक श्री लोकेश सैनी उपस्थित मिला। उक्त गैस सिलेण्डर (INDANI) मार्क के पाये गये, मौके पर टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह के कायकर्ता श्री सुखलाल सैनी को बुलाकर गैस सिलेण्डरों के वजन तौल की कार्यवाही करवायी गयी जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्व गैस

जिला कलेक्टर
टोंक

1	293700 E	INDIAN	15.900	15.900	0.0
2	455417	INDIAN	15.800	15.800	0.0
3	325888	INDIAN	15.600	15.600	0.0
4	00779	INDIAN	19.00	16.500	2.500
5	533908	INDIAN	20.500	16.500	4.00
6	752399	INDIAN	30.185	15.900	14.285
7	520666	INDIAN	29.800	15.700	14.100
8	574259	INDIAN	15.700	15.700	0.0
9	374104	INDIAN	15.600	15.600	0.0
10	008547	INDIAN	15.500	15.500	0.0
					34.885

इस प्रकार श्री लोकेश सैनी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 34.885 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में दिनांक 12.12.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह ने घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग के आकस्मिक निरीक्षण जांच करने वास्ते श्री श्याम रेडियम एण्ड कार सर्विस सेन्टर मालपुरा रोड टोडारायसिंह पर पहुंचा मौके पर एक मारूती वैन चालक दूर से ही वैन को भगाकर ले गया मौके पर उक्त फर्म के परिसर की जांच करने पर 10 घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये एवं एक इलैक्ट्रिक मोटर HITONE मार्का, एक इलैक्ट्रिक मोटर MISBAH मार्का, दो लोहे के रेग्युलेटर, दो वाल्व इलेक्ट्रीक वायर से जुडे हुए पाये गये है। मौके पर वक्त जांच फर्म मालिक श्री लोकेश सैनी पुत्र श्री छीतरमल माली उपस्थित मिला। मौके पर श्री लोगोश सैनी से इस विषय में पूछताछ करने पर कोई सतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। उक्त गैस सिलेण्डर (INDANI) मार्क के पाये गये, मौके पर टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह के कायकर्ता श्री सुखलाल सैनी को बुलाकर गैस सिलेण्डरों के वजन तौल की कार्यवाही करवायी गयी। इस प्रकार श्री लोकेश सैनी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किये जाने के कारण उक्त 10 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 34.885 किलोग्राम एलपीजी एक इलैक्ट्रिक मोटर HITONE मार्का, एक इलैक्ट्रिक मोटर MISBAH मार्का, दो लोहे के रेग्युलेटर, दो वाल्व इलेक्ट्रीक वायर को जब्त सरकार कर मैसर्स टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह को जरिये प्रतिनिधी श्री

जिला कलेक्टर
टोंक

सदाम खान अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया है,जिसका फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार कर सलग्न फर्द किया गया है। श्री लोकेश सैनी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भंडारण कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) सी एव 7 (1) सी का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 34.885 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 12.12.2024 के अनुसार श्री लोकेश सैनी पुत्र श्री छीतरमल जाति माली फर्म मालिक श्री श्याम रेडियम एण्ड कार सर्विस सेन्टर मालपुरा रोड टोडारायसिह जिला केकडी हाल टोंक की दुकान/ व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 Kg क्षमता के 10 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से कार्य मे प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी क नाम	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस
1	293700 E	INDIAN	15.900	15.900	0.0
2	455417	INDIAN	15.800	15.800	0.0
3	325888	INDIAN	15.600	15.600	0.0
4	00779	INDIAN	19.00	16.500	2.500
5	533908	INDIAN	20.500	16.500	4.00
6	752399	INDIAN	30.185	15.900	14.285
7	520666	INDIAN	29.800	15.700	14.100
8	574259	INDIAN	15.700	15.700	0.0
9	374104	INDIAN	15.600	15.600	0.0
10	008547	INDIAN	15.500	15.500	0.0
					34.885

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 10 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर सुरज्ञान,लोकेश सैनी तथा

जिला कलेक्टर
टोंक

सुखलाल के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी सुरज्ञान,लोकेश सैनी तथा सुखलाल के हस्ताक्षर है तथा मैसर्स टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह के प्रतिनिधि श्री सदाम खान के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से कार्य मे प्रयुक्त कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 10 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 34.885 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)